न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुरेश कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 13/2022 राजस्व अपील

1. पुखराज पुत्र श्री अमरसिंह उम्र 60 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ग्राम पीपलकी तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार उप तहसील सिकन्दरा जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

(अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 28.01.2022 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा जिला दौसा अन्तर्गत मुकदमा नम्बर 309/2021 बअनुवानी प्रकरण सरकार बनाम पुखराज अन्तर्गत धारा 91 एल. आर. एक्ट)

उपस्थिति : श्री उम्मेद सिंह गुर्जर, अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
: श्री राजेश शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

:— निर्णय :— दिनांक: 17.05.2023

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का पीपलकी द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध एक रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा के समक्ष इस आशय की प्रस्तुत की गई कि अपीलान्ट ने ग्राम पीपलकी के भूमि खसरा संख्या 134 रकबा 0.50 है. किस्म चरागाह पर सम्वत 2078 में अनाधिकृत रूप से कब्जा काश्त कर अतिक्रमण कर रखा है। अपीलान्ट को कोई सुनवाई का अवसर दिये बिना, अपीलान्ट की विधिवत तामील करवाये बिना अपीलान्ट की अनुपस्थिति दर्ज कर अपीलान्ट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया जाकर बेदखली व 50 गुना लगान व 30 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने का निर्णय दिनांक 28.01.2022 को पारित फरमा दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 28.01.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा उक्त निर्णय के विरूद्ध यह अपील इस न्यायपेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं न्याय की सामान्य प्रक्रियाओं के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की विधिवत तामील करवाये बिना अपीलान्ट की तामील मानकर व सुनवाई व सबूत का मौका दिये बिना ही एवं पटवारी हल्का से जिरह का अवसर दिये बिना ही प्रश्नगत निर्णय दिनांक 28.01.2022 पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नही है जिससे की अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित होता हो। अपीलान्ट की खातेदारी भूमि से लगता हुआ खसरा नम्बर 134 है लेकिन अपीलान्ट द्वारा खसरा नम्बर 134 पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। अपीलान्ट ने पटवारी हल्का से अपीलान्ट की खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाने हेतु कहा लेकिन पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट की खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान भी नहीं करवाया गया। अपीलान्ट ने ग्राम पीपलकी तहसील सिकराय में स्थित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 134 रकबा 0.50 है. भूमि पर से अपना कब्जा हटा लिया जाना एवं वर्तमान में उक्त खसरा नम्बर 134 खाली होना व वर्तमान में अपीलान्ट का किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं होने एवं भविष्य में सरकार भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि पटवारी हल्का पीपलकी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में अपीलान्ट पुखराज पुत्र अमरसिंह जाति गुर्जर द्वारा ग्राम पीपलकी में स्थित चरागाह भूमि खसरा संख्या 134 रकबा 0.10 है. पर सरसों एवं 0.40 है. पर गेहूं की काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत विधि अनुसार कार्यवाही करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.01.2022 के द्वारा 30 दिवस के सिविल कारावास की सजा, बेदखली व 50 गुना लगान की शास्ति से दण्डित किया गया है। राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा ग्राम पीपलकी तहसील सिकराय में स्थित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 134 पर से अपना कब्जा हटा लिया जाना व वर्तमान में उक्त खसरा नम्बर 134 खाली पडा होने व आज दिन शपथकर्ता अपीलान्ट का उक्त भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं होने व भविष्य में सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में हम अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट इस शर्त पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है कि अपीलान्ट का ग्राम पीपलकी तहसील सिकराय में स्थित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 134 रकबा 0.50 है. भूमि पर अतिक्रमण नहीं होने बाबत् अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र उप तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा सत्यापित किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.01.2022 में से सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अन्यथा सिविल कारावास सहित अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश दिनांक 28.01.2022 यथावत प्रभावी रहेगा। निर्णय की प्रति मय अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मूल शपथ पत्र एवं अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार की जावे।

(सुरेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 17.05.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(सुरेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा